नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

पत्रांक 275 /
दिनांक 15/9/2014 /

फोन न० 0612– 2504044
फैक्स न० 0612– 2504509
ई–मेल : md.nbpdcl@gmail.com

CIN NO. U40109BR2012SGC018920

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
प्रबंध निदेशक

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
वैशाली / मुजफ्फरपुर / सीतामढ़ी / शिवहर / छपरा / गोपालगंज / सिवान / समस्तीपुर / बेगुसराय / दरभंगा / मधुबनी / सहरसा / मधेपुरा / सुपौल / कटिहार / पूर्णियाँ / किशनगंज / अररिया / पूर्वी चम्पारण / पश्चिमी चम्पारण / खगड़िया।

विषय :– दिनांक 16.09.2014 एवं दिनांक 18.09.2014 से 21.09.2014 तक प्रत्येक जिले में नये विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत भार वृद्धि हेतु शिविर के आयोजन के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपलोगों के कुशल नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल अच्छा कार्य कर रहें हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्णय लिया गया है कि नये विद्युत कनेक्शन देने हेतु दिनांक 16.09.2014 एवं दिनांक 18.09.2014 से 21.09.2014 तक विशेष अभियान चलाया जाय। साथ ही, शिविर में विद्युत भार बढ़ाने हेतु भी आवेदन प्राप्त किये जाने हैं। आपसे अनुरोध होगा की इस अभियान का आप स्वयं नेतृत्व करें और इसका दैनिक पर्यवेक्षण करें। साथ ही साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से भी इन शिविरों में अधिक से अधिक लोगों एवं जन प्रतिनिधियों की भागीदारी हो, इसके लिए अपने अधिनस्थ पदस्थापित S.D.O. / B. D. O. को भी निदेश दें की वे भी इन शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को शिरकत करायें। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता दिनांक 15.09.2014 तक शिविर आयोजन का रोस्टर आपके अनुमोदनार्थ उपस्थापित कर देंगे, जिसमें स्थान एवं समय स्पष्ट रूप से अंकित होगा। आपसे अनुरोध होगा की अगर विद्युत कम्पनी के कर्मी इस कार्य हेतु कम पड़ रहे हों तो इस अभियान में प्रखण्ड स्तर के कर्मियों को भी लगाने की कृपा करें।

इस शिविर की सफलता के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नांकित हैं :–

1. आवेदक से किसी प्रकार का Security Deposit, Application fee एवं Estimate cost की राशि नहीं ली जायेगी।
2. नये विद्युत संबंध एवं लोड बढ़ाने हेतु आवेदन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना है।
3. आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के बाद पंजीयन रसीद को पावति के रुप में शुल्क शुन्य करके दिया जायेगा।
4. कनीय विद्युत अभियंता / विद्युतकर्मी द्वारा आवेदन की जाँच की जानी है एवं इसी दरम्यान आवेदक से पहचान / पते के दस्तावेज लिये जाने हैं तथा 07 (सात) दिनों के अन्दर सक्षम

पदाधिकारी की स्वीकृति के लिए उपस्थापित करना है। उनसे संतुष्ट होकर एवं देखकर कि यह पुराने बकायेदार नहीं हैं सक्षम प्राधिकार 07 (सात) दिनों में स्वीकृति सुनिश्चित करेंगे।

5. उपभोक्ता को मीटर अधिष्ठापन (स्वीकृति के 07 दिनों के अन्दर) के समय मीटर अधिष्ठापन स्लिप की रसीद दी जायेगी। इसके लिए मुख्यालय से अलग प्रपत्र तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।
6. Security Deposit, Application fee एवं Estimate cost की राशि मीटर अधिष्ठापन के बाद, विपत्र में 2 किस्तों में ली जायेगी।
7. इस शिविर में आवेदन के साथ पहचान पत्र और आवासीय पता का दस्तावेज नहीं लिया जाना है।
8. इस अभियान के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों के स्वीकृति/अस्वीकृति सात दिनों के अन्दर हो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित सहायक विद्युत अभियंता की होगी। अस्वीकृत एवं लंबित मामलों का प्रतिवेदन (कारण सहित) मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

इस बार विशेष अभियान का काफी सरलीकरण किया गया है, मात्र आवेदन को सही–सही भरना होगा। जिला मुख्यालय में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता एवं प्रखण्ड मुख्यालय में सहायक विद्युत अभियन्ता शिविर का आयोजन करेंगे। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैंचाईजी भी अपने क्षेत्र में शिविर लगायेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कैम्प आयोजन का बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार कराने की कृपा करें और अधिक से अधिक संख्या में विद्युत संयोजन हेतु नये आवेदन आयें, इसके लिए अपने अधिनस्थ प्राशासनिक महकमें एवं विद्युत कंपनी के सभी पदाधिकारियों को प्रेरित करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ता एवं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन,

15/9

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक

<u>अनुलग्नक – यथोपरि।</u>